

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †2428
सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

असम में एसडीएस 2.0 के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजनाएं और परिपथ

†2428. श्री जयन्त बसुमतारी:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) असम में स्वदेश दर्शन योजना (एसडीएस) 2.0 के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं और परिपथों की संख्या कितनी है;
- (ख) पर्यटकों के अनुभव और संतुष्टि को बेहतर बनाने के लिए पर्यटक सेवा सुविधाओं को विकसित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं को पूरा करने में कोई विलंब हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजनाओं की संख्या कितनी है और प्रत्येक परियोजना में लगे दिवसों की संख्या कितनी है;
- (घ) क्या सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के संबंध में कोई कमियाँ पाई गई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर उठाए गए सुधारात्मक कदम क्या हैं; और
- (ङ) क्या सरकार के पास परियोजनाओं की प्रभावी योजना और समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ङ): पर्यटन स्थलों और उत्पादों का विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं 'स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0)' और 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)'-एसडी 2.0 की एक उप-योजना के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जमा करने, धन की

उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता आदि के अध्यधीन वित्तीय सहायता प्रदान करके पर्यटन अवसंरचना के विकास के प्रयासों को संपूरित करता है।

असम राज्य में एसडी 2.0 योजना और एसडी 2.0 की उप-योजना सीबीडीडी के तहत स्वीकृत परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	योजना	अनुभव का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)
1.	एसडी 2.0	कोकराझार वेटलैंड अनुभव	2023-24	26.68
2.		रीड्मैजिनिंग सिन्नमारा टी एस्टेट	2023-24	23.88
3.	सीबीडीडी	शिवसागर में पानीदिहिंग पक्षी अभयारण्य (इको पर्यटन और-अमृत धरोहर स्थल)	2024-25	9.99

ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और राज्य सरकार और भारत सरकार की नियमित निगरानी में हैं।

एसडी 2.0 के मामले में सरकार द्वारा कोई कमी नहीं देखी गई है, हालांकि, एसडी 2.0 के तहत परियोजनाओं को लागू करते समय, यह देखा गया है कि कुछ मामलों में, उचित/लागू मंजूरी प्राप्त करने में काफी समय लगता है।

इसके अलावा, परियोजनाओं की विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से निगरानी की जाती है। स्वदेश दर्शन 2.0 के लिए दिशानिर्देशों में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी), मिशन निदेशालय (एमडी) आदि से युक्त राष्ट्रीय संस्थागत ढांचा, राज्य संस्थागत ढांचा और राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा स्थापित गंतव्य प्रबंधन समितियों को शामिल किया गया है। मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत शुरू की गई परियोजनाओं के संबंध में निर्बाध सूचना संचार, साझाकरण और रिपोर्टिंग प्रणाली को सुविधाजनक बनाने के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में अपनी गंतव्य विकास संबंधी योजनाओं की निगरानी के लिए एक कार्यक्रम प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) भी तैयार की है। पर्यटन मंत्रालय और राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों सहित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां इस प्रणाली के अभिन्न अंग हैं।
